इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 408] भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 अगस्त 2011—भाद्र 7, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2011

क्र. एफ-(ए) 3-25-2010-1-पांच, (62).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-68-2004-1-पांच (21), दिनांक 4 अप्रैल 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, उपाबंध-दो में,—

(1) पैरा 3 से 14 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"3 आवेदन प्राप्त होने पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, आवेदन में दी गई विशिष्टियों का सत्यापन करेगा और यथास्थिति, जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन समिति या राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन समिति को एक रिपोर्ट, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा.

4. उक्त आवेदन की एक प्रति व्यापारी द्वारा उस वृत्त के समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को भी भेजी जाएगी.

5. समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी आवेदन में दी गई विशिष्टियों की जांच तथा सत्यापन करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट रुपये दस करोड़ तक के पूंजी विनिधान वाली औद्योगिक इकाइयों से संबंधित मामलों में उपायुक्त, वाणिज्यिक कर को और रुपये दस करोड़ से अधिक के पूंजी विनिधान वाली औद्योगिक इकाइयों से संबंधित मामलों में आयुक्त, वाणिज्यिक कर को प्रस्तुत करेगा.

6. इस अधिसूचना के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्राप्ति के लिए ऐसे व्यापारियों द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करने के लिए दो समितियां होंगी, अर्थात्:—

(एक) जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी:—

(1)	जिले का कलक्टर	अध्यक्ष
(2)	संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर या उसका नामनिर्देशिती, जो वाणिज्यिक कर अधिकारी की श्रेणी से निम्न श्रेणी का न हो.	सदस्य
(3)	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम या उसका नामनिर्देशिती	सदस्य
(4)	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य-सचिव.

(दो) राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी:—

(1)	भारसाधक मंत्री, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग	अध्यक्ष
(2)	भारसाधक मंत्री, वाणिज्यिक कर विभाग	सदस्य
(3)	प्रमुख सचिव/ सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव/ सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
(5)	प्रमुख सचिव/ सचिव, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग	सदस्य
(6)	आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश	सदस्य
(7)	उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश	सदस्य-सचिव''.

7. जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति के लिए गणपूर्ति 3 सदस्यों से होगी, किन्तु वाणिज्यिक कर विभाग के सदस्य की अनुपस्थिति में गणपूर्ति पूर्ण नहीं समझी जाएगी.

8. राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति के लिये गणपूर्ति 4 सदस्यों से होगी, किन्तु वाणिज्यिक कर विभाग और वित्त विभाग के सदस्यों की अनुपस्थिति में गणपूर्ति पूर्ण नहीं समझी जाएगी.

9. जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति रुपये दस करोड़ तक के पूंजी विनिधान वाली औद्योगिक इकाइयों की पात्रता का न्याय निर्णयन करेगी तथा राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति रुपये दस करोड़ से अधिक के पूंजी विनिधान वाली औद्योगिक इकाइयों की पात्रता का न्याय निर्णयन करेगी.

10. पात्रता प्रमाण-पत्र मंजूर करने के लिए, रुपये दस करोड़ तक के पूंजी विनिधान वाली औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने वाले व्यापारियों द्वारा दिये गये आवेदनों पर जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति द्वारा विचार किया जाएगा और ऐसे मामलों में पात्रता प्रमाण-पत्र महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किया जाएगा.

11. पात्रता प्रमाण-पत्र मंजूर करने के लिए, रुपये दस करोड़ से अधिक की पूंजी के विनिधान से औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने वाले व्यापारियों द्वारा दिये गये आवेदनों पर राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति द्वारा विचार किया जाएगा और ऐसे मामलों में पात्रता प्रमाण-पत्र उद्योग आयुक्त द्वारा जारी किया जाएगा.

12. (1) समिति, सामान्यत: मास में एक बार अपनी बैठक करेगी, किन्तु लम्बित आवेदनों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए अधिक बैठकें बुलाई जा सकेंगी और समिति प्रत्येक मामले पर विचार करने के पश्चात् विनिश्चय कर सकेगी कि पात्रता प्रमाण-पत्र मंजूर किया जाए या उसके लिये किये गये आवेदन को निरस्त किया जाए या अतिरिक्त जानकारी मंगवाई जाए.

(2) जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति या राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति द्वारा प्रत्येक आवेदन का, इसके प्राप्त होने की तारीख से 120 दिन के भीतर निपटारा किया जाएगा.

13. राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति को या तो स्वप्रेरणा से या संदर्भित किए जाने पर अपने स्वयं के विनिश्चय का या जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति के विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने की या जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति को इस अधिसूचना के अधीन छूट देने की योजना की व्याप्ति तथा लागू होने के संबंध में निदेश देने की पूर्ण शक्तियां होंगी तथा जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति के विनिश्चय के विरुद्ध संदर्भित किए जाने वाले मामलों में राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति द्वारा किया गया विनिश्चय अन्तिम तथा बाध्यकारी होगा.

14. जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति अपने स्वयं के विनिश्चय का पुनर्विलोकन कर सकेगी, किन्तु ऐसे मामलों से संबंधित वास्तविक स्थिति उसके द्वारा राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति को पुनर्विलोकन में किए गए विनिश्चय की तारीख से 30 दिन के भीतर संसूचित की जाएगी.

(2) पैरा 15 से 17 का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2011

क्र. एफ-ए-3-25-2010-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-25-2010-1-पांच, (62), दिनांक 29 अगस्त 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 29th August 2011

FA-3-25-2010-1-V-(62).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this department's notification No. A-3-68-2004-1-V(21), dated 4th April 2005, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in Annexure-II,—

(1) for para 3 to 14, the following paras shall be substituted, namely:—

"3. On receipt of the application the General Manager, District Trade and Industries Centre shall verify the particulars given in the application and submit a report to the District Level Investment Promotion Committee or the State Level Investment Promotion Committee, as the case may be, within 30 days from the date of the receipt of the application.

4. A Copy of the said application shall also be sent by the dealer to his appropriate Commercial Tax Officer of the circle.

5. The Appropriate commercial Tax Officer shall after enquiry and verification of the particulars given in the application, submit his report to the Deputy Commissioner of Commercial Tax in the cases

relating to the industrial units with capital investment up to rupees ten crores and to the Commissioner of Commercial Tax in the cases relating to the industrial units with capital investment of more than rupees ten crores.

6. there shall be two committees for considering the application made by such dealers for exemption from payment of entry tax under this notification, namely:—

(i) District Level investment Promotion Empowered Committee shall consist of the following persons:—

(1)	Collector of the district	Chairperson
(2)	Divisional Deputy Commissioner of Commercial Tax or his nominee, not below the rank of a commercial Tax officer.	Member
(3)	managing Director of the Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam or his nominee.	Member
(4)	General manager, District Trade and Industries Centre	Member-Secretary.

(ii) State Level Investment Promotion Empowered Committee shall consist of the following persons:—

(1)	Minister in-charge, Commerce, Industry and Employment Department.	Chairperson
(2)	Minister in-charge, Commercial Taxes Department	Member
(3)	Principal Secretary/Secretary, Commercial Taxes Department	Member
(4)	Principal Secretary/Secretary, Finance Department.	Member
(5)	Principal Secretary/Secretary, Commerce, industry and Employment Department.	Member
(6)	Commissioner, Commercial Tax, Madhya Pradesh	Member
(7)	Industries Commissioner, Madhya Pradesh	Member-Secretary"

7. The quorum for the District Level Investment Promotion empowered committee shall be 3, but the quorum shall not be deemed to have been full in the absence of the Member of Commercial Tax Department.

8. The quorum for the State Level Investment Promotion empowered Committee shall be 4, but the quorum shall not be deemed to have been full in the absence of the Members of Commercial Tax Department and Finance Department.

9. The District level Investment Promotion empowered Committee shall adjudge the eligibility of industrial units with capital investment up to rupees ten crores and the State Level Investment Promotion empowered Committee shall adjudge the eligibility of industrial units with capital investment of more than rupees ten crores.

10. Application for grant of eligibility certificate made by dealers establishing industrial units with capital investment up to rupees ten crores shall be considered by the District level Investment Promotion empowered committee and the eligibility certificate in such cases shall be issued by the General Manager, District Trade and Industries Centre.

11. Application for grant of eligibility certificate made by the dealers establishing industrial units with capital investment of more than rupees ten crores shall be considered by the State Level investment Promotion empowered Commitee and the eligibility certificate in such cases shall be issued by the Industries Commissioner.

12. (1) The Committee shall ordinarily meet once in a month, but meeting may be convened more frequently keeping in view the number of pending applications and the Committee may after consideration of each case decide to grant the eligibility certificate or reject the application made therefor or call for additional information.

(2) Every application shall be disposed by the District Level Investment Promotion empowered Committee or the State Level Investment Promotion empowered Committee within 120 days of the date of its receipt.

13. The State Level Investment Promotion empowered Committee shall have full powers either suo motu or on reference to review its own decision or the decision of the District Level Investment Promotion empowered Committee or to give direction to the District Level Investment Promotion empowered Committee with regard to the scope and applicability of the scheme of exemption under this notification and the decision taken by the State Level investment Promotion empowered Committee in case of reference against the decision of the District Level investment Promotion empowered Committee shall be final and binding.

14. The District Level Investment Promotion empowered Committee may review its own decision, but the factual position relating to such cases shall be intimated by it to the State Level Investment Promotion empowered Committee within thirty days of the date of the decision of review".

(2) Para 15 to 17 shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.